Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 119-2020/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 24, 2020 (BHADRA 2, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th August, 2020

No. 26-HLA of 2020/69/11519.— The Haryana Municipal Entertainment Duty (Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 26-HLA of 2020

THE HARYANA MUNICIPAL ENTERTAINMENT DUTY (AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Entertainment Duty Act, 2019.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Municipal Entertainment Duty (Amendment) Act, 2020.

Amendment of section 2 of Haryana Act 30 of 2019.

2. In section 2 of the Haryana Municipal Entertainment Duty Act, 2019 (hereinafter called the principal Act),-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(a) “admission to an entertainment” includes admission to any place in which the entertainment is held or any place where from the entertainment is provided by means of cable connection from any type of antenna with a cable network attached to it or cable television for Direct-to-Home Broadcasting service;’;

(ii) after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely:-

‘(aa) “antenna” means an apparatus which received television signals, enabling viewers to tune into transmissions including national or international satellite transmissions and is erected or installed for exhibition of films or moving pictures or series of pictures, by means of transmission of television signals by wire, where subscribers’ television sets at the residential or non-residential place are linked by metallic coaxial cable or optic fibre cable to a central system called the head-end, on payment by the connection charges or any other charges collected in any manner, whatsoever;

(ab) "cable operator" means any person or a company registered as a cable operator and has also been registered as a Multi-System Operator for a notified area as per the provisions of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (Central Act 7 of 1995) and re-transmits digital television signals installed for exhibition of films or moving pictures or series of pictures to subscriber's television sets at the residential or non-residential places;

(ac) "cable television" means a system organized on payment by a connection holder of any contribution or subscription or installation and connection charges or any other charges collected in any manner, whatsoever, for exhibition of films or moving pictures or series of pictures by means of transmission of television signals by wire where subscriber's television set is linked by metallic coaxial cable or optic fibre cable to a central system called the head-end, by using a video cassette or disc or both, recorder or player or similar such apparatus on which pre-recorded video cassettes or discs or both are played or replayed and the films or moving pictures or series of pictures which are viewed and heard on the television receiving set at a residential or non-residential place of a connection holder;';

(iii) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

'(e) "entertainment" includes any exhibition, fairs, performance, amusement, game, sport, marathon, race to which persons are admitted against payment or in the case of television exhibition with the aid of any type of antenna with a cable network attached to it or cable television or Direct-to-Home Broadcasting Service, for which persons are required to make payment by way of contribution or subscription or installation and connection charges or any other charges collected in any manner, whatsoever.

Explanation.- For the purpose of this clause, the expression "game" includes video games which are played with the aid of machine which is operated electronically or mechanically or electromechanically for the purpose of entertainment or otherwise;';

(iv) after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely:-

(ga) "Internet Protocol Television" means broadcasting of television channels through telephone network with the help of Internet Protocol network by the Internet Protocol Service Providers who have right to transmit media programming to their customers.

Explanation.- For the purpose of this clause,-

Internet Protocol Television technology combines television distribution with broadband and telephony and provides the option of Triple Play Services to the customer. The signals for these services are transmitted through cable or optical fibre networks. Owing to high speed two way connectivity of this technology, there is greater potential of offering value added services like Video on Demand, time shift viewing, online gaming, broadband and e-commerce etc.;

'(gb) "local cable operator" means any person or a company who accepts digital television signals from Multi-System Operator and re-transmits at the residential or non-residential places on payment by a subscriber;

(gc) "Multi-System Operator" means a cable operator who received a programming service from a broadcaster or its authorised agencies and re-transmits the same or transmits his own programming service, for simultaneous reception either by multiple subscribers directly or through one or more local cable operators and includes his authorised distribution agencies, by whatever name called;';

(v) in clause (i),-

(a) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"payment for admission in relation to the levy of entertainment duty" includes-;

(b) after item (iii), the following items shall be inserted, namely:-

"(iv) any payment made by a person by way of contribution or subscription or installation and connection charges or any other charges collected in any manner whatsoever for television exhibition with the aid of any type of antenna with a cable network attached to it or cable television;

(v) any payment made by person to the proprietor of a Direct-to-Home Broadcasting Service by way of contribution, subscription, installation or connection charges, or any other charges collected in any manner, whatsoever, for Direct-to-Home Broadcasting Service with the aid of any type of set top box or any other instrument of like nature which connects television set at a residential or non-residential place of connection-holder directly to the Satellite;

(vi) any payment made by way of sponsorship amount for a programme which is organised only for invitees, without selling tickets.

Explanation.- For the purposes of this clause any expenditure incurred by any co-operative society including a co-operative housing society or by the management of any factory, hotel, lodge, bar, permit room, pub, or by a person or group of persons, for the purchase of any type of antenna or any other apparatus for securing transmission through the cable network of cable television attached to it, for its members, or for workers or customers or for himself or themselves, as the case may be, shall be deemed to be the payment made under this sub-clause for the television exhibition with the aid of any type of antenna with cable network attached to it or cable television;";

(vi) after clause (i), the following clauses shall be inserted, namely:-

'(ia) "pool game" means game played on a Pool Table or Billiard Table or any Table by whatever name called or by whatever way described, with a long stick called a cue, a cue ball and designated number of object balls. Each player using the cue ball will pocket the object balls in any order or combination or in any manner or method;

(ib) "pool parlour" means a place of entertainment wherein one or more tables are provided for playing pool-game for which persons are required to make a payment in any manner or form;';

(vii) in clause (n),-

(a) for the sign "." existing at the end, the sign ";" shall be substituted; and

(b) the following clause shall be added at the end, namely:-

'(o) "video games parlour" means a place of entertainment where persons are required to make a payment for the purpose of working on a machine installed therein which operates electronically or mechanically or electro mechanically.'.

Insertion of sections 3A and 3B in Haryana Act 30 of 2019.

3. After section 3 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-

"3A. Levy of duty on cable service.- (1) The proprietor of a cable television, cable operator or distribute of Internet Protocol Television providing cable services or Internet Protocol Television services shall be liable to pay entertainment duty at the rate as the Government may notify in the Official Gazette, from time to time, in this behalf.

(2) Nothing in sub-section (1) shall preclude the Government from notifying different rates of entertainment duty for entertainment in a household or in different categories of hotels.

3B. Levy of duty on pool games.- The proprietor of a video game parlour or pool game or pool parlour shall be liable to pay entertainment duty at the rate as the Government may notify in the Official Gazette, from time to time, in this behalf.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Government repealed the Punjab Entertainment Duty Act, 1955 (Punjab Act 16 of 1955) from the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 notified on 08.06.2017. However, there was exception i.e., except to the extent levied and collected by a Panchayat or a Municipality or a Regional Council or a District Council.

In view of the above and considering huge revenue potential through entertainment activities to municipalities, the Government notified the Haryana Municipal Entertainment Duty Act, 2019, on 27.08.2019. The Act majorly included entertainment activities through "admission to an entertainment" which are cinema halls, exhibitions, performance, amusement, game, sport or race to which persons are ordinarily admitted on payment.

The Government observed that scope of this Act required to be broadened considering various available means of entertainment via digital networking in present times i.e. Cable Operators, Direct to Home Operators, Video Parlours, Pool Parlours and IPTV services.

Accordingly, the Government has decided to include various digital entertainment activities along with other, which shall be included in the Act through an amendment. Therefore, the draft bill has been prepared and submitted to amend the Haryana Municipal Entertainment Duty Act, 2019.

ANIL VIJ,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh: R. K. NANDAL,
The 24th August, 2020. Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 26 एच.एल.ए.

हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2020
हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 2019
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

2019 के हरियाणा अधिनियम 30 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 2019 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,–

(i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(क) "मनोरंजन में प्रवेश" में शामिल है किसी भी ऐसे स्थान में प्रवेश, जिसमें मनोरंजन किया जा रहा है या कोई भी स्थान, जहाँ से मनोरंजन, किसी भी प्रकार के ऐन्टेना से संलग्न केबल नेटवर्क की सहायता से केबल कनैक्शन या सीधे ही गृह प्रसारण सेवा हेतु केबल टेलीविज़न के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है ;

(ii) खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

'(कक) "ऐन्टेना" से अभिप्राय है, कोई उपकरण, जो टेलीविज़न संकेत प्राप्त करता है दर्शकों को प्रसारण से समर्थ बनाता है तथा इसमें राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह संप्रेषण भी शामिल हैं और तार द्वारा टेलीविज़न संकेतों के संप्रेषण के साधन द्वारा फिल्मों या चलचित्रों या चलचित्रों की श्रृंखला के प्रदर्शन के लिए निर्मित या स्थापित किया गया है, भी शामिल है, जहाँ कनैक्शन प्रभारों या किसी रीति, जो भी हो, में संगृहीत किन्हीं अन्य प्रभारों के भुगतान पर अंशदाता के निवास या गैर निवासीय स्थान पर टेलीविज़न सैट से केन्द्रीय प्रणाली, जिसे हेड–एण्ड कहा गया है, से धात्विक समाक्षीय केबल या ऑप्टिस फाइबर केबल से जोड़े गए हैं ;

(कख) "केबल ऑपरेटर" से अभिप्राय है, अंशदाता के निवास या गैर निवासीय स्थान पर टेलीविज़न सैट के लिए फिल्मों या चलचित्रों या चलचित्रों की श्रृंखला के प्रदर्शन हेतु केबल ऑपरेटर के रूप में पंजीकृत कोई व्यक्ति या कंपनी और केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का केन्द्रीय अधिनियम 7) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र के लिए बहुप्रणाली ऑपरेटर के रूप में भी पंजीकृत है और स्थापित डिजीटल टेलीविज़न संकेतों का फिर से संप्रेषण करता है ;

(कग) "केबल टेलीविज़न" से अभिप्राय है, वीडियो कैसेट और डिस्क या दोनों, रिकॉर्डर या प्लेयर या इनके समरूप ऐसे उपकरण, जिन पर प्री–रिकॉर्डिड वीडियों कैसेटस या डिस्क या दोनों चलाई जाती हैं या पुनः चलाई जाती हैं, का उपयोग करते हुए, जहाँ अंशदाता के निवास या गैर निवासीय स्थान पर टेलीविज़न सैट केन्द्रीय प्रणाली द्वारा, जिसे हेड–एण्ड कहा गया है, से धात्विक समाक्षीय केबल या ऑप्टिस फाइबर केबल से जोड़े गए हैं, तार द्वारा टेलीविज़न संकेतों के संप्रेषण के साधन द्वारा फिल्मों या चलचित्रों या चलचित्रों की श्रृंखला के प्रदर्शन के लिए किसी योगदान या अंशदान या स्थापना के कनैक्शन धारक द्वारा और कनैक्शन प्रभारों या किसी रीति, जो भी हो, में संगृहीत किन्हीं अन्य प्रभारों के भुगतान पर स्थापित कोई प्रणाली और फिल्मों या चलचित्रों या चलचित्रों की श्रृंखला, कनैक्शन धारक के निवास या गैर निवासीय स्थान पर टेलीविज़न सैट प्राप्त करते हुए देखी जाती हैं या सुनी जाती है;

(iii) खण्ड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(ड.) "मनोरंजन" में शामिल है, कोई प्रदर्शनी, मेला, तमाशा, आमोद–प्रमोद, गेम, खेल–कूद, रेस, जिसके लिए व्यक्तियों को भुगतान करने पर प्रवेश दिया जाता है या किसी भी प्रकार के ऐन्टेना से संलग्न केबल नेटवर्क की सहायता से टेलीविज़न प्रदर्शनी या केबल कनैक्शन या सीधे गृह प्रसारण सेवा हेतु , केबल टेलीविज़न के मामले में, जिसके लिए व्यक्तियों से किसी योगदान या अंशदान या स्थापना और कनैक्सन प्रभारों या किसी रीति, जो भी हो, में संगृहीत किन्हीं अन्य प्रभारों के माध्यम से भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है।

व्याख्या.– इस खण्ड के प्रयोजन हेतु, अभिव्यक्ति "गेम" अभिव्यक्ति में वे वीडियो गेम्स शामिल हैं, जो मनोरंजन या अन्यथा प्रयोजन के लिए मशीन की सहायता से खेले जाते हैं, जो इलैक्ट्रॉनिकली या मकैनिकली या इलैक्ट्रॉमकैनिकली संचालित किए जाते हैं ;';

(iv) खण्ड (छ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

'(छक) "इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न" से अभिप्राय है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस प्रदाताओं, जिन्हें अपने ग्राहकों को संप्रेषण मीडिया प्रोग्रामिंग का अधिकार है, द्वारा इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क की सहायता से दूरभाष नेटवर्क के माध्यम से टेलीविज़न चैनलों का प्रसारण करना।

व्याख्या.– इस खण्ड के प्रयोजन हेतु, ब्रॉडबैंड और टेलीफोनी सहित इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न प्रौद्योगिकी संयोजन टेलीविज़न प्रसारण और ग्राहकों को ट्रिपल प्ले सेवाएं उपलब्ध करवाना। इन सेवाओं के लिए संकेतों केबल या ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषित किए जाते हैं। इस प्रौद्योगिकी की हाई स्पीड टू वे कनेक्टिविटी के कारण, वहाँ पर मूल्य वर्धित सेवाओं जैसे कि माँग पर वीडियो, टाइम शिफ्ट विविंग, ऑनलाइन गेमिंग, ब्रॉडबैंड तथा ई–वाणिज्यिक इत्यादि, को प्रदान करने की अधिक क्षमता है ;

(छख) "स्थानीय केबल ऑपरेटर" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति या कंपनी, जो बहु–प्रणाली ऑपरेटर से डिजिटल टेलीविज़न संकेतों को ग्रहण करती है और अंशदाता के भुगतान पर निवासीय या गैर निवासीय स्थानों पर पुनः संप्रेषण करती है ;

(छग) "बहु–प्रणाली ऑपरेटर" से अभिप्राय है, कोई केबल ऑपरेटर, जो किसी ब्रॉडकास्टर या इसके प्राधिकृत अभिकरणों से प्रोग्रामिंग सेवाएं प्राप्त करता है और उनका पुनः संप्रेषण करता है या उसकी अपनी प्रोग्रामिंग सेवा का संप्रेषण करता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से बहु–अंशदाताओं द्वारा या एक या एक से अधिक स्थानीय केबल ऑपरेटरों के माध्यम से एक साथ ग्रहण करता है और इसमें उसके प्राधिकृत वितरण अभिकरण, किसी भी नाम से ज्ञात हो, भी शामिल हैं ;';

(v) खण्ड (झ) में, –

(क) विद्यमान शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"मनोरंजन शुल्क के उद्ग्रहण के संबंध में प्रवेश के लिए भुगतान" में निम्नलिखित शामिल हैं,–';

(ख) मद (iii) के बाद, निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

"(iv) किसी भी प्रकार के ऐन्टेना तथा इससे संलग्न केबल नेटवर्क या केबल टेलीविज़न की सहायता से टेलीविज़न के प्रदर्शन के लिए योगदान या अशंदान या स्थापना और कनैक्शन प्रभारों या किसी रीति, जो भी हो, में संगृहीत किन्हीं अन्य प्रभारों के माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भुगतान ;

(v) किसी प्रकार के सैटअप बॉक्स या इसी प्रकार के किसी अन्य यंत्र, जो उपग्रह से प्रत्यक्ष रूप से कनैक्शन धारक के निवास या गैर निवासीय स्थान पर टेलीविज़न सैट से कनैक्ट है, की सहायता से सीधे गृह प्रसारण सेवा के लिए योगदान या अशंदान या स्थापना और कनैक्शन प्रभारों या किसी रीति, जो भी हो, में संगृहीत किन्हीं अन्य प्रभारों के माध्यम से सीधे गृह प्रसारण सेवा के स्वत्वधारी को किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भुगतान ;

(vi) टिकटों का विक्रय किए बिना, किसी प्रोग्राम, जो केवल आमंत्रितों के लिए प्रायोजित राशि के माध्यम से किया गया कोई भुगतान।

व्याख्या.– इस खण्ड के प्रयोजनों हेतु , सहकारी आवासीय सोसाइटी सहित किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा या किसी कारखाना, होटल, लॉज, बार, परमिट रूम, पब के प्रबन्धन द्वारा या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के ग्रुप द्वारा इसके सदस्यों, या कर्मकारों या ग्राहकों हेतु या स्वयं या उनके अपने लिए, जैसी भी स्थिति हो, केबल टेलीविज़न से संलग्न केबल नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषण ग्रहण करने के लिए किसी भी प्रकार के ऐन्टेना या कोई अन्य उपकरण की खरीद के लिए उपगत कोई व्यय किसी प्रकार के ऐन्टेना तथा इससे संलग्न नेटवर्क या केबल टेलीविज़न की सहायता से टेलीविज़न प्रदर्शन के लिए इस खण्ड के अधीन किया गया भुगतान समझा जाएगा ;";

(vi) खण्ड (झ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :–

'(झक) "पूल गेम" से अभिप्राय है, क्यू से ज्ञात लंबी छड़ी, किसी क्यू बॉल और निर्दिष्ट नम्बर ऑब्जेक्ट बॉल्स से पूल टेबल या बिलियर्ड टेबल या कोई अन्य टेबल पर खेला गया कोई गेम। क्यू बॉल का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खिलाड़ी के पास किसी क्रम या संयोजन में या किसी रीति या पद्धति में ऑब्जेक्ट बॉल्स पाकेट होगी ;

(झख) "पूल पार्लर" से अभिप्राय है, मनोरंजन का ऐसा स्थान, जिसमें पूल गेम खेलने के लिए एक या एक से अधिक टेबलों की व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए व्यक्तियों द्वारा किसी रीति या रूप में भुगतान किया जाना अपेक्षित है ;';

(vii) खण्ड (ढ) में, –

(क) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ख) अन्त में, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

'(ण) "वीडियो गेम पार्लर" से अभिप्राय है, मनोरंजन का ऐसा स्थान, जिसमें स्थापित की गई मशीन पर कार्य करने के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है, जो इलैक्ट्रॉनिकली या मकैनिकली या इलैक्ट्रॉमकैनिकली संचालित है।'।

2019 के हरियाणा अधिनियम 30 में धारा 3क का रखा जाना।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :–

"3क. केबल सेवा पर शुल्क का उद्ग्रहण.– (1) केबल सेवाएं या इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सेवाएं उपलब्ध करवाने वाला केबल टेलीविज़न का स्वत्वधारी, केवल ऑपरेटर या इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न वितरक, ऐसी दर पर मनोरंजन शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जो सरकार द्वारा, इस निमित्त, समय–समय पर, राजपत्र में अधिसूचित की जाए।

(2) उप–धारा (1) की कोई भी बात, सरकार को किसी कुटुम्ब में या होटल के भिन्न प्रवर्गों में मनोरंजन के लिए मनोरंजन शुल्क की भिन्न दरें अधिसूचित करने से निवारित नहीं करेगी।

3ख. पूल गेम पर शुल्क का उद्ग्रहण.– किसी वीडियो गेम पार्लर या पूल गेम या पूल पार्लर का स्वत्वधारी, ऐसी दर पर मनोरंजन शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जो सरकार द्वारा, इस निमित्त, समय–समय पर, राजपत्र में अधिसूचित की जाए।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 08.06.2017 को अधिसूचित हरियाणा माल तथा सेवा कर अधिनियम, 2017 के द्वारा पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम, 16) को निरस्त किया गया है। तथापि, यहां अपवाद् पंचायत या नगर पालिका या क्षेत्रीय परिषद या जिला परिषद द्वारा उदगृहीत तथा संग्रहित सीमा में लगाये गये शुल्क के सिवाए था।

उपरोक्त के दृष्टिगत नगर पालिकाओं में मनोरंजन कार्य कलापों के माध्यम से विशाल राजस्व सम्भावना पर विचार करने के दृष्टिगत, सरकार ने दिनांक 27.08.2019 को हरियाणा नगर पालिका, मनोंरजन शुल्क अधिनियम, 2019 अधिसूचित किया है। अधिनियम में मुख्य रूप से ''मंनोरंजन में प्रवेश'' के माध्यम से मंनोरंजन कार्यकलाप शामिल किए गए हैं जो सिनेमा हाल, प्रदर्शनी, तमाशा मन–बहलाव, खेल क्रीडा या दौड है जिसमें व्यक्ति साधारणतः भुगतान पर प्रवेश करते हैं।

सरकार ने अवलोकित किया है कि इस अधिनियम का क्षेत्र वर्तमान समय में डिजीटिल नेटवर्किगं के माध्यम से मनोंरजन के विभिन्न उपलब्ध साधनों अर्थात केवल संचालकों, प्रत्यक्ष गृह संचालकों, विडियो पार्लरों, तालाब पार्लरों तथा आई0पी0 टी0वी0 सेवाओं पर व्यापक रूप से विचार किया जाना अपेक्षित है।

तदानुसार सरकार ने अन्य सहित विभिन्न डिजीटल मनोरंजन कार्य कलाप शामिल करने का निर्णय किया है जिसे संशोधन के द्वारा अधिनियम में शामिल किया जाएगा। इसलिए प्रारूप विधेयक तैयार किया गया है तथा हरियाणा नगर पालिका मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

अनिल विज,
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 24 अगस्त, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।

8876—H.V.S.—H.G.P.,Pkl.